

परिपत्र संख्या 21/2022-सीमा शुल्क

फा.सं. सीबीआईसी-140605/17/2021-ओ/ओ निदेशक(प्रतिअदायगी)-सीबीईसी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

(प्रतिअदायगी प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितंबर, 2022

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त

सीमा शुल्क / सीमा शुल्क (निवारक) / सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, और

सीबीआईसी के अंतर्गत सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेश

महोदया/महोदय,

विषय: निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के लिए योजना में संशोधन(आरओडीटीईपी)

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आरओडीटीईपी योजना अधिसूचना संख्या 76/2021-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 23.09.2021 को अधिसूचना संख्या 75/2022 - सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 14.09.2022 के तहत संशोधित किया गया है जिसके तहत पैरा 4(2), पैरा 5(5) और मूल अधिसूचना के पैरा 6 में "या ट्रांसफरी" शब्द हटा दिए गए हैं। इन संशोधनों का प्रभाव स्क्रिप के अंतरिती-धारक से संबंधित कुछ शर्तों को हटाना है।

2. इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 75/2021-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 23.09.2021 के माध्यम से जारी इलेक्ट्रॉनिक इयूटी क्रेडिट लेजर विनियम, 2021 को अधिसूचना संख्या 79/2022 - सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 15.09.2022 द्वारा संशोधित किया गया है। मूल विनियमों के विनियम 6(2) और 7(3) में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं। इन संशोधनों का प्रभाव यह है कि स्क्रिपों की वैधता अवधि उनके सृजन की तिथि से एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है।

3. इस संबंध में उपयुक्त सार्वजनिक नोटिस और स्थायी आदेश जारी करने का अनुरोध किया जाता है।

आपका,

(निधीश सिंघल)
एसटीओ (प्रतिअदायगी)

आवश्यक कार्रवाइयों के लिए प्रतिलिपि:

प्रधान महानिदेशक,
सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय,
अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क
चौथी और पांचवीं मंजिल, होटल सम्राट ,
चाणक्यपुरी , नई दिल्ली - 110 021

परिपत्र संख्या 21/2022-सीमा शुल्क

फा.सं. सीबीआईसी-140605/17/2021-ओ/ओ निदेशक(प्रतिअदायगी)-सीबीईसी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

(प्रतिअदायगी प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितंबर, 2022

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त

सीमा शुल्क / सीमा शुल्क (निवारक) / सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, और

सीबीआईसी के अंतर्गत सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेश

महोदया/महोदय,

विषय: निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के लिए योजना में संशोधन(आरओडीटीईपी)

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आरओडीटीईपी योजना अधिसूचना संख्या 76/2021-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 23.09.2021 को अधिसूचना संख्या 75/2022 - सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 14.09.2022 के तहत संशोधित किया गया है जिसके तहत पैरा 4(2), पैरा 5(5) और मूल अधिसूचना के पैरा 6 में "या ट्रांसफरी" शब्द हटा दिए गए हैं। इन संशोधनों का प्रभाव स्क्रिप के अंतरिती-धारक से संबंधित कुछ शर्तों को हटाना है।

2. इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 75/2021-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 23.09.2021 के माध्यम से जारी इलेक्ट्रॉनिक इयूटी क्रेडिट लेजर विनियम, 2021 को अधिसूचना संख्या 79/2022 - सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 15.09.2022 द्वारा संशोधित किया गया है। मूल विनियमों के विनियम 6(2) और 7(3) में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं। इन संशोधनों का प्रभाव यह है कि स्क्रिपों की वैधता अवधि उनके सृजन की तिथि से एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है।

3. इस संबंध में उपयुक्त सार्वजनिक नोटिस और स्थायी आदेश जारी करने का अनुरोध किया जाता है।

आपका,

(निधीश सिंघल)
एसटीओ (प्रतिअदायगी)

आवश्यक कार्रवाइयों के लिए प्रतिलिपि:

प्रधान महानिदेशक,
सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय,
अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क
चौथी और पांचवीं मंजिल, होटल सम्राट ,
चाणक्यपुरी , नई दिल्ली - 110 021